न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 106/2024 G.C.M.S. No. 2024/494 दर्ज दिनांक : 11.11.2024

अपीलार्थी:

1. बाबुसिंह पुत्र भीमसिंह, जाति राजपूत, निवासी पावली तहसील जसवंतसिंह पुत्र जालोर (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1 रती बेवा सामती
2 पीथा पुत्र अजा जातिगण मेघवंशी निवासीगण पावली तहसील जसवंतसिंह पुत्र जालोर (राज.)
3. एवन कंवर पत्नी मंगलसिंह
4. कालूसिंह पुत्र भेरसिंह
5. किस्मत कंवर पुत्री मंगलसिंह
6. गंगा पुत्री भेरसिंह
7. गजेन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह
8. गुड़िया कंवर पुत्री मंगलसिंह
9. चंदनसिंह पुत्र लाखसिंह
10. दरियादेवी पत्नी जवाहरसिंह
11. दलसिंह पुत्र भीमसिंह
12. पंखु पुत्री भेरसिंह
13. पहाड़सिंह पुत्र लाखसिंह
14. मलसिंह दत्तक पुत्र जवाहरसिंह
15. लक्ष्मी कंवर पुत्री मंगलसिंह
16. सोरम पुत्री भेरसिंह
17. हरिसिंह पुत्र लाखसिंह, जातिगण राजपूत, निवासीगण पावली तहसील जसवंतसिंह पुत्र जालोर (राज.) (रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 17 विलोपित)
18. मृतक हरनाथा के कायम मुकाम–
    18.1. नावी पत्नी स्व. हरनाथा
    18.2. रतनाराम पुत्र स्व. हरनाथा
    18.3. गणेशाराम पुत्र स्व. हरनाथा जातिगण कलबी निवासीगण पावली तहसील जसवंतसिंह पुत्र जालोर (राज.)
19. खुमा पुत्र अमरा
20. भगवाना पुत्र चौला
21. केसा पुत्र बाबु
22. दीपा पुत्र बाबु
23. पुरी बेवा बाबु
24. नारायणाराम पुत्र प्रेमा
25. हाजाराम पुत्र प्रेमा
26. जेठाराम पुत्र प्रेमा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

27. धमदो बेवा प्रेमा
28. दिनेश पुत्र पमा
29. नरसा पुत्र जवाराम
30. बगता पुत्र जीराम
31. सणगी बेवा जवाराम
32. पूनमाराम पुत्र जोधा
33. सारी पुत्री जोधा
34. झमु पुत्री जोधा
35. हमदा पुत्री जोधा
36. समु पुत्री जोधा
37. भूता पुत्र मोती
38. सोना पुत्र मोती
39. मृत रूगनाथा पुत्र मोती के कायम मुकाम–
    39.1. तलछाराम पुत्र स्व. रूगनाथाराम
    39.2. फाउदेवी पुत्री स्व. रूगनाथाराम
    39.3. वालीदेवी पत्नी स्व. रूगनाथाराम
40. मृत रूपा पुत्र रणछोड़ा के कायम मुकाम–
    40.1. उदाराम पुत्र स्व. रूपाजी
    40.2. नरींगाराम पुत्र स्व. रूपाजी
    40.3. समरथाराम पुत्र स्व. रूपाजी
    40.4. गलीदेवी पत्नी स्व. रूपाजी
    40.5. जमना पुत्री स्व. रूपाजी
    40.6. पारूदेवी पुत्री स्व. रूपाजी
    40.7. कीकीदेवी पुत्री स्व. रूपाजी
41. हाजा पुत्र भगूं
42. पूनमा पुत्र भगूं
43. सुजाना पुत्र भगूं जातिगण कलबी निवासीगण पावली तहसील जसवंतसिंह पुत्र जालोर (राज.)
44. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा

एवं

राजस्व अपील संख्या : 112ए/2024 G.C.M.S. No. 2024/497 दर्ज दिनांक : 20.11.2024

अपीलार्थिगण:

1. केसा पुत्र बाबु
2. दीपा पुत्र बाबु, जातिगण राजपूत, निवासीगण पावली, तहसील जसवंतसिंह पुत्र जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. रती बेवा सामती
2. पीथा पुत्र अजा जातिगण मेघवंशी निवासीगण पावली तहसील जसवंतसिंह पुत्र जालोर (राज.)
3. एवन कंवर पत्नी मंगलसिंह
4. कालूसिंह पुत्र भेरसिंह
5. किस्मत कंवर पुत्री मंगलसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. गंगा पुत्री भेरसिंह
7. गजेन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह
8. गुड़िया कंवर पुत्री मंगलसिंह
9. चंदनसिंह पुत्र लाखसिंह
10. दरियादेवी पत्नी जवाहरसिंह
11. दलसिंह पुत्र भीमसिंह
12. पंखु पुत्री भेरसिंह
13. पहाड़सिंह पुत्र लाखसिंह
14. बाबुसिंह पुत्र भीमसिंह
15 मलसिंह दत्तक पुत्र जवाहरसिंह
16 लक्ष्मीकंवर पुत्री मंगलसिंह
17. सोरम पुत्री भेरसिंह
18. हरिसिंह पुत्र लाखसिंह, जातिगण राजपूत, निवासीगण पावली तहसील जसवंतसिंह पुत्र जालोर (राज.) (रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 18 विलोपित)
19. मृतक हरनाथा के कायम मुकाम–
    19.1. नावी पत्नी स्व. हरनाथा
    19.2. रतनाराम पुत्र स्व. हरनाथा
    19.3. गणेशाराम पुत्र स्व. हरनाथा जातिगण कलबी निवासीगण पावली तहसील जसवंतसिंह पुत्र जालोर (राज.)

राजस्व अपील अधिकारी पाली

20 खुमा पुत्र अमरा
21. भगवाना पुत्र चौला
22. पुरी बेवा बाबु
23. नारायणाराम पुत्र प्रेमा
24. हाजाराम पुत्र प्रेमा
25. जेठाराम पुत्र प्रेमा
26. वणदो बेवा प्रेमा
27. दिनेश पुत्र पना
28. नरसा पुत्र जवाराम
29. वगता पुत्र जीराम
30. सणगी बेवा जवाराम
31. पूनमाराम पुत्र जोधा
32. सारी पुत्री जोधा
33. झमु पुत्री जोधा
34. हमदा पुत्री जोधा
35. समु पुत्री जोधा
36. भूता पुत्र मोती
37. सोना पुत्र मोती
38. मृत रूगनाथा पुत्र मोती के कायम मुकाम–
    38.1. तलछाराम पुत्र स्व. रूगनाथाराम
    38.2. फाउदेवी पुत्री स्व. रूगनाथाराम
    38.3. वालीदेवी पत्नी स्व. रूगनाथाराम
39. मृत रूपा पुत्र रणछोड़ा के कायम मुकाम–
    39.1. उदाराम पुत्र स्व. रूपाजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

39.2. नरीगाराम पुत्र स्व. रूपाजी
39.3. समरथाराम पुत्र स्व. रूपाजी
39.4. गलीदेवी पत्नी स्व. रूपाजी
39.5. जमना पुत्री स्व. रूपाजी
39.6. पारूदेवी पुत्री स्व. रूपाजी
39.7. कीकीदेवी पुत्री स्व. रूपाजी

40. हाजा पुत्र भगूं
41. पूनमा पुत्र भगूं
42. सुजाना पुत्र भगूं जातिगण कलबी निवासीगण पावली तहसील जसवंतसिंह पुत्र जालोर (राज.)
43. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 25/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2024 बअनवान रती वगैरह बनाम हरनाथा के का.मु. नावी वगैरह एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने बाबत।

पैरोकार–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री शुभमसिंह, श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री निखिल दवे, श्री मुकेश सांखला, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 06.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता अपील संख्या 106/2024 बअनवान बाबुसिंह बनाम रती वगैरह एवं अपील संख्या 112ए/2024 बअनवान केसा वगैरह बनाम रती वगैरह अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2014 बअनवान रती वगैरह बनाम हरनाथा के कायम मुकाम नावी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.10.2024 के विरूद्ध अलग–अलग प्रस्तुत की गई हैं। उक्त दोनों अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित एक ही प्रकरण में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अतः प्रकरण के निर्णयन में समरूपता रहें, लिहाजा दोनों अपील परस्पर संयोजित की गई तथा दोनों अपील एक साथ निर्णित की जा रही हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 294, 294/2185 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 315, 312, 336 में से रास्ता चाहा है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 सदैव ही अपनी भूमि में खसरा संख्या 111, 112, 116 व 119 से होकर आता जाता रहा है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट जोकि खसरा संख्या 336 रकबा 0.9700 हैक्टेयर का रेकर्डेड खातेदार हैं, इन सभी को

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी/रेस्पोंडेंट ने पक्षकार बनाये बिना ही एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त है एवं खातेदारी का उपयोग-उपमोग करता है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 294, 294/2185 में आने-जाने हेतु खसरा संख्या 315, 312, 336 में से रास्ता चाहा है, उक्त चाहे गये रास्ते से प्रार्थी का पूर्व में आवागमन नहीं रहा है, न ही उक्त रास्ता पूर्व से चालू है, न ही कभी विद्यमान रहा है, उक्त चाहे गए रास्ते पर कई खेजड़ी व बबूल के पेड़ है तथा बड़े-बड़े धोरे लगे हुए हैं। खसरा संख्या 315, 336 के खातेदारों के किसी एक के भी मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गये, न ही अपीलांट व अन्य खातेदारान को सुना गया। जबकि अपीलांट व अन्य सहखातेदार को सूचित कर उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी थीं, जो नहीं की गई हैं। इस कारण बनाई गई मौका रिपोर्ट भी झूठी व गलत तैयार की हैं। साथ ही रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के पास अपनी खातेदारी में आने-जाने हेतु रास्ता पूर्व में चालू है तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 हमेशा ही अपनी भूमि में खसरा संख्या 111, 112, 116 व 119 से होकर आता जाता रहा है तथा उक्त रास्ता आज भी चालू है, उपरोक्त रास्ते के मध्य कोई निर्माण नहीं हैं, भूमि खाली हैं तथा उक्त रास्ते की लंबाई मात्र 282 मीटर है, इस आशय की मौका रिपोर्ट एसडीओ के पत्र दिनांक 02.01.2023 के अनुसार बनाई गई हैं, जो पत्रावली में मौजूद है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके के विपरीत तथा मौके पर बाथरूम, शौचालय, ट्यूबवेल निर्मित होते हुए विधि के विपरीत रास्ता दिलाया है। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील संख्या 106/2024 अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दोनों अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया एवं दोनों अपील संयोजित की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट्स व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध ग्राम पावली तहसील जसवंतपुरा में स्थित खातेदारी आराजी खसरा संख्या 294/2185, खसरा संख्या 292, 293, 294 तक पहुंच के लिए रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2014 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं दिनांक 29.10.2024 को निर्णित कर स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अंदर म्याद दोनों अपील प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

2. अपील संख्या 106/2024 के अपीलांट बाबूसिंह द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति की प्रार्थना के साथ अपील प्रस्तुत की गई हैं। हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णयन के लिए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। साथ ही प्रार्थी अपीलांट बाबुसिंह द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 17 जोकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं हैं तथा इनकी ओर से न तो अपील प्रस्तुत की गई एवं न ही इस बाबत कोई निवेदन किया गया। इसके बावजूद अपीलांट बाबुसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 17 को पक्षकार संयोजित कर दिया गया। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं एवं न ही इस संबंध में न्यायालय से कोई अनुमति प्राप्त की गई हैं। अतः अपील संख्या 106/2024 में रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 17 को विलोपित किया जाता है। इसी प्रकार अपील संख्या 112ए/2024 के अपीलांट केसा वगैरह द्वारा भी हस्तगत अपील में रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 18 को न्यायालय की अनुमति प्राप्त किए बिना एवं इस संबंध में उक्त पक्षकारान द्वारा कोई निवेदन किए बिना एवं उक्त पक्षकारान की ओर से कोई अपील/काउण्टर अपील प्रस्तुत हुए बिना बतौर रेस्पोंडेंट पक्षकार संयोजित किया गया। जो विधिसम्मत नहीं हैं। अतः उक्त अपील के रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 18 को विलोपित किया जाता है। उक्त पक्षकारान विधिनुरूप अपने स्तर पर पृथक से अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्रथम जांच प्रतिवेदन भू–अभिलेख पावली द्वारा दिनांक 01.07.2014 को तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई। जोकि अप्रार्थीगण की गैर मौदजूगी में होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थीगण के निवेदन पर पुनः जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निवेदन किया गया। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा दिनांक 19.05.2016 को जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पुनः मौका निरीक्षण व मौका कमिश्नर रिपोर्ट हेतु निवेदन किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.09.2016 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई हैं। निगरानी संख्या 2016/7191/जालोर में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2021 द्वारा निगरानी स्वीकार कर प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट तलब कर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में भू.अ.नि. पावली द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 21.12.2023 प्रस्तुत की गई। प्रकरण में अंतिम मौका रिपोर्ट भू.अ.नि. पावली द्वारा दिनांक 02.09.2024 को तैयार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कर प्रेषित की गई। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान की मांग पर प्रकरण में 4 बार से अधिक जांच प्रतिवेदन तलब किया गया।

4. प्रकरण में प्रस्तुत अंतिम मौका रिपोर्ट दिनांक 02.09.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जांच प्रतिवेदन भू.अ.नि. पावली द्वारा तैयार किया गया जोकि धारा 251-क के प्रकरणों में सक्षम अधिकारी हैं। जांच प्रतिवेदन पर अंकित टिप्पणी से स्पष्ट है कि वक्त मौका निरीक्षण अपीलांट सहित अन्य अप्रार्थीगण मौके पर उपस्थित थें, जिनके मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है। अतः मौका रिपोर्ट अपीलांट्स व प्रार्थीगण की उपस्थिति में तैयार किया जाना स्पष्ट है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं भू-नक्शा अनुसार प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। अर्थात रास्ते की मांग आत्यांतिक आवश्यकता पर आधारित है। भू.अ.नि. द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में पहुंच मार्ग के लिए दो विकल्प प्रस्तावित किए गए। प्रथम विकल्प एबीसीडी के रूप में खसरा संख्या 315 में 220 मीटर लंबा तथा खसरा संख्या 336 में 59 मीटर लंबा कुल लंबाई 279 मीटर प्रस्तावित की गई। साथ ही द्वितीय विकल्प के रूप में ईएफजीएचआई के रूप में खसरा संख्या 119, 116 व 2390/112 में से कुल लंबाई 282 मीटर प्रस्तावित की गई। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 312 व 315 की माठ के सहारे खसरा संख्या 315 व 336 में से खसरा संख्या 336 में निर्मित संरचना को छोड़कर रास्ता स्वीकृत किया गया है। हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निकटतम दूरी के विकल्प को रास्ते के रूप में स्वीकृत किया गया है। जोकि धारा 251-क एवं नियम 69 के प्रावधानों के अनुरूप है। जिसमें कोई विधिविरूद्धता नहीं हैं। अतः इस संबंध में अपीलांट का उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। धारा 251-क रास्ते से संबंधित प्रकरण आवश्यक प्रकृति के होते हैं तथा नियमानुसार 90 दिवस के भीतर निर्णय अपेक्षित होता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में वर्ष 2014 से लंबित रहा तथा विचारण के दौरान उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

5. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया कि खसरा संख्या 315 व 336 के बीच में ट्यूबवेलनुमा संरचना व बाथरूम व शौचालय निर्मित है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो काबिल अपास्त है, के संबंध में हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त संरचनाओं को छोड़ते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया है। अतः उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दोनों अपील बखूबी साबित नहीं होती हैं। दोनों अपील सारहीन होने से एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से दोनों अपील खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील संख्या 106/2024 बअनवान बाबुसिंह बनाम रती वगैरह एवं अपील संख्या 112ए/2024 केसा वगैरह बनाम रती वगैरह अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 25/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2024 बअनवान रती वगैरह बनाम हरनाथा के का.मु. नावी वगैरह की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से दो कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय की प्रतियां दोनों अपील पत्रावलियों में रखी जावें।

निर्णय आज दिनांक **06.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner